आर्बीट्रेशन निष्पादन वाद संख्या 27/2024

दिनांकः–07.07.2026

पुकारा गया। आर्बीट्रेशन निष्पादन वाद की पत्रावली पेश हुयी। डिक्रीधारक की ओर से स्थगन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त् वाद में निर्णीत ऋणी बाहर रहता है, निर्णीत ऋणी का पता नहीं चलरहा है । जैसे ही निर्णीत ऋणी का पता चलता है वैसे ही न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा । साथ ही तिथि प्रदान किये जाने की याचना की गयी है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा निर्णीत के सही पते को ज्ञात कर पुनः पैरवी किये जाने हेतु 28.03.2026 को आदेशित किया गया था परंतु उसके उपरांत कई तिथियां बीत जाने के बावजूद डिक्रीधारक द्वारा निर्णीत ऋणी के सही पते से न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया है । चूंकि पत्रावली पर निर्णीत ऋणी का पता ही उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत इजराय वाद निष्पादन योग्य नहीं है । आज डिक्रीधारक की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि स्वयं डिक्रीधारक भी अपने वाद के निष्पदान में कोई रूचि नहीं रह गयी है । अतः प्रस्तुत इजराय वाद निष्पादन योग्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक–07.07.2026

(सुनीता शर्मा)
विशेष न्यायाधीश(NDPS Act)/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–7 इटावा।